

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

जो इस
मौल में

संख्या 3 / 2022 तारीख दायर 16.6.22 दिनांक निर्णय 12.7.2022

उनवान


रिपोर्ट पटवारी ~~हल्का मोती वाड़ा~~ बनाम ~~रतन लाल पुत्र राम सहाय कौम~~
~~श्रीना नि. मोती वाड़ा~~


आज पत्रावली मु. - ~~राजगढ़~~ पेश हुई। गैरसायल उप/अनु. जवाब पेश ~~करना~~/नहीं करना चाहता है। सबूत गैरसायल बन्द की जानी हैं। अतिक्रमी का स. ~~208.2.79~~ का नया कब्जा होना साबित होता है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि-


गैरसायल ~~रतन लाल~~ पुत्र ~~राम सहाय~~
जाति ~~श्रीना~~ निवासी ~~मोती वाड़ा~~ को
आराजी खसरा नं. 4 / 1850 रकबा 0.15 किस्म ~~बाराही III~~ वाके ग्राम ~~मोती वाड़ा~~
से बेदखल किया जाता है तथा शरह लगान 1=00 की 50 गुणा में मु.
50=00 पचास रूपये कायमी कराई जावे TRA व पटवारी की पालनार्थ लिखा लावें।

~~कबल लिखनी है~~ गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।


तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2022-23
के पृष्ठ संख्या 09 पत्र सि.च. 50/-
राशि कायम किये गये।

स. रा. लेखाकार

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
12/7/22	<p>पत्तावली पेश हुई। गेट हाथल व छोर श्री प्रभुदयाल को भावज लगावारी गई। कावपूड भागल के अनुपात्त कोइ जमा साक्ष्य पेश नहीं किसे जेब के कारण गेट हाथल काबिल बडेलानी हैं प्रिंसीपल अलग से लिख जाकर शामिल पत्तावली विषय मय।</p> <p style="text-align: right;">  तहसीलदार राजगढ़ (अलवर) </p>	

रिपोर्ट पटवारी

सेवा में,

श्रीमान् तहसीलदार साहब,

तहसील - राजगण्ड

(अलवर) राज.

ग्राम - श्रीनीवास

प्र. सं. 3

16.6.22


निवेदन है कि निम्नांकित व्यक्ति ने उनके आगे लिखे नम्बरान सिवाय चक पर अनाधिकृत कब्जा करत किया है। इसलिधे इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही परमाई जावे।

नाम आसामी, बालिधत कोमिधत व सकूनत	सम्बर्	खसरा नम्बर	कुल रकवा	किस्म जमीन	शहर लगान	नाजायज कब्जा		लगान	कंफिधत
						रकवा	जिन्स		
रामनाम सि० राधलक्षण साका	2079	4 1850	1.32	खारनी III	2100	0.15	बैडरक व जीर मगाडर व निका शानका	0.20	बैडरक व जीरना व पडर निगरी कर शानका नवीन कोरुशवा है


उपरोक्त आसामी के खातेदारी में रकवा चाही। वारानी दीगर

वर्तमान में मौजूद है, इस रकवे में वह रकवा शामिल है, जिस पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 15/19 के तहत खातेदारी हकूक प्राप्त हुए हैं।


रामनारायण पटवारी
Ramnar


16/6/2022

जुली-१२२११
श्री १२२ - श्री १११११



श्री १२२११ - श्री १११११